

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-11फ/2020-21/4945

लखनऊ, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2020

विषय:-प्रदेश की निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/कैम्प-8396, दिनांक 14.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि के पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 31.12.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।


उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2020 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्त संख्या-1432/पांच-6-2020, दिनांक 04.11.2020 पर महानिदेशालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-11फ/2020-21/5924-25, दिनांक 11.11.2020, जो समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र० को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु-1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समयसीमा समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए समस्त निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। अतः दिनांक 10.01.2021 तक रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक

पत्र संख्या-11फ/2020-21/

तद्दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
4. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-1, 5 एवं 6
5. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
6. ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्रा०लि०, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
8. अध्यक्ष/सचिव, आई०एम०ए० एवं नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ०प्र०, लखनऊ।
9. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई०एम०ए० एवं नर्सिंग होम एसोशिएसन-द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।

(राकेश कुमार)

अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार)

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-11फ/2020-21/

लखनऊ, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2020

विषय:-प्रदेश की निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/कैम्प-8396, दिनांक 14.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि के पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 31.12.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2020 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्त संख्या-1432/पांच-6-2020, दिनांक 04.11.2020 पर महानिदेशालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-11फ/2020-21/5924-25, दिनांक 11.11.2020, जो समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु-1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समयसीमा समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए समस्त निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। अतः दिनांक 10.01.2021 तक रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक

पत्र संख्या-11फ/2020-21/4946-54 तददिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-1, 5 एवं 6
5. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्रा0लि0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम एसोशिएसन--द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(रक्षेश कुमार)

अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार)

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं० 11फ / कैम्प - 8376

लखनऊ दिनांक: 11 मई, 2020

विषय-प्रदेश में कोविड-19 की महामारी के कारण निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/कैम्प-8177, दिनांक 16.04.2020 जिसके द्वारा प्रदेश में जनपद स्तर पर निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण में कठिनाई के दृष्टिगत पूर्व में कराया गया रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.06.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आज दिनांक 14.05.2020 को शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क०, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2020 को आहूत बैठक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के लिए पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 30.06.2020 तक किये जाने की अवधि को 06 माह अर्थात् दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रुकुम केश)
महानिदेशक

पत्र सं०-11फ / कैम्प

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क०, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव, उ०प्र०, चिकित्सा अनुभाग-1, 5 एवं 6
3. निदेशक(संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. अध्यक्ष / सचिव, आई०एम०ए० / नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष / सचिव, आई०एम०ए० / नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ०प्र०-इ
संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।

(राकेश कुमार)

अपर निदेशक(चिकित्सा उपच

4-11-2020

"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के अन्तर्गत रिफार्म एरिया के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित निम्नलिखित 02 रिफार्म एरिया पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.11.2020 समय 4.00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. डा० वसन्त कुमार, अधिशासी निदेशक, यू.पी.टी.एस.यू।
2. डा० मूथु कुमार स्वामी, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, उ०प्र० शासन।
3. डा० डी.एस.नेगी, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. डा० राकेश कुमार, (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. डा० एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
6. डा० अजय सिंह कश्यप, परियोजना निदेशक, यू.पी.एल.सी।

प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में बैठक दिनांक 16.09.2020 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

1. मैनुअल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को समाप्त कर यू.पी.हेल्थ इन के माध्यम से आन लाइन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/यू.पी.एल.सी. के द्वारा पूर्ण कर लिये जाने पर बधाई दी गयी।
2. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट में संशोधन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्रभावी अनुश्रवण कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
(कार्यवाही-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/यू.पी.टी.एस.यू.)
3. क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट में प्रस्तावित संशोधन की कार्यवाही महानिदेशालय द्वारा पूर्ण करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।
(कार्यवाही-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)
4. पी.सी. पी.एन.डी.टी. का कियान्वयन अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में एन.एच.एम./यू.पी.टी.एस.यू. से एक माह के उपरान्त भी प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने पर यह निर्देश दिया गया कि अनुश्रवण कर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।
(कार्यवाही-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

Dr SK Saini


अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

आलोक कुमार-II
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-1432/पांच-6-2020
लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (चिकित्सा, उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, यू0पी0एल0सी0।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप, सचिव।


कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या-11फ/2020-21/ 5924-25

लखनऊ, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि:- उपरोक्त शासनादेश संख्या-1432/पांच-6-2020, दिनांक 04.11.2020 द्वारा जारी उपरोक्त कार्यवृत्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को उपरोक्त कार्यवृत्ति के बिन्दु संख्या-1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।


(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक